

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, 1.P. ESTATE: NEW DELHI-110002**

Notification No. 06/2025-State Tax (Rate)

Dated: 8./9./2025

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 862 .- In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub-section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rcv-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30-06-2017, namely:-

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words "transmission and distribution" wherever occurring, the words "transmission or distribution" shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil"

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

"(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,"

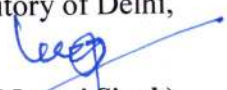
(ii) in paragraph 2 of the said notification,

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item(zj), the following item shall be inserted, namely: -

“(zja) “insurer” has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).”.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Mangej Singh)
Deputy Secretary (Fin.)

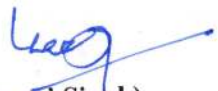
Note: The principal notification number 12/2017 –State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated 30/06/2017 and last amended *vide* notification number 08/2024-State Tax (Rate) published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (03)/Fin(Exp-I)/2025-26/DS-I/420, dated 14/05/2025.

No. F.3 (20)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/862

Dated: ...8.../...9.../2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.


(Mangej Singh)
Deputy Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट: नई दिल्ली-110002

अधिसूचना संख्या 06/2025-राज्य कर (दर)

दिनांक: 8/9/2025

सं. एफ.3 (20)/वित्त(व्यय-I)/2025-26/डीएस-I/862.- दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की अनुशंसाओं पर एतद् द्वारा दिनांक 30-06-2017 की फा0सं0 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380 के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV की धारा 3 की उप-धारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) में निम्नलिखित और अधिक संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

(i) उक्त अधिसूचना में, तालिका में, -

- (क) क्रम संख्या 25क के सामने, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्दों "पारेषण और वितरण" आते हैं, के स्थान पर शब्दों "पारेषण या वितरण" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 69 के सामने, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण साझेदार, "

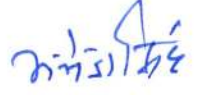
(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) मद (ब) को 1 अप्रैल, 2025 से विलोप कर दिया जाएगा;

(ख) मद (यज) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(यज्ञक) “बीमाकर्ता” का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में यथाविनिर्दिष्ट है।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके के नाम पर


(मंगेज सिंह)
उपसचिव (वित्त)

टीप:- मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 30.06.2017 की फा0 सं0 3 (15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/380 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित की गई थी तथा जो अंतिम बार दिनांक 14.05.2025 की फा0 सं0 3 (03)/वित्त (व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/420 के द्वारा दिल्ली राजपत्र, असाधारण, भाग-IV की धारा 3 की उपधारा (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 08/2024-राज्य कर (दर) द्वारा संशोधित की गयी थी।

फा0सं0 3(20)/वित्त(व्यय-1)/2025-26/डीएस-1/862

दिनांक : 8/9/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचना हेतु अग्रसारित:-

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, माननीय वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5. एस0ओ0, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
6. अपर मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
7. सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु अनुरोध सहित।
8. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
9. अपर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली।
10. निदेशक, राज्य संसाधन प्रभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11. वेबसाइट।
12. गार्ड फाइल


(मंगेज सिंह)
उपसचिव (वित्त)